पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना नगरपालिका
1864
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांक: 10241
Date / दिनांक: 24/06/2026

कार्यालय आदेश

पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संपत्ति कर निर्धारण के लिये वार्षिक किराया मूल्य (ARV) में 15% संशोधन (वृद्धि) हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-AL/194/2026/-SEC-12-UDHD DEP 2298 / न० वि० एवं आ० वि०, दिनांक-22.06.2026 द्वारा सहमति प्रदान की गई है। (सुलभ प्रसंग हेतु पत्र की छाया प्रति संलग्न)।

2. बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 127(7)(iii) (Bihar Municipal Amendment Act, 2013 द्वारा संशोधित) के अनुसार "विभिन्न श्रेणियों की होल्डिंग्स (Holdings) के लिए प्रति वर्ग फुट निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) का किराया मूल्य (Rental Value) प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम 15% बढ़ाया जाएगा। नगर निकाय (Municipality) राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से 5 वर्ष की अवधि के दौरान किसी भी समय किराया मूल्य एवं दरों में वृद्धि कर सकता है।"

अतः उक्त के आलोक में पटना नगर निगम क्षेत्रांतर्गत संपत्तियों का वार्षिक किराया मूल्य (ARV) में 15% संशोधन (वृद्धि) किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

ह0 / -

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम

ज्ञापांक IVA/17/27/अंश/10241 दिनांक 24/06/2026

प्रतिलिपि:

1. सभी अपर नगर आयुक्त, सभी उप नगर आयुक्त, सभी कार्यपालक पदाधिकारी, सभी राजस्व पदाधिकारी पटना नगर निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. IT Team निदेशित है कि निगम के पोर्टल पर सेवा शुल्क/संपत्ति कर की माँग राशि को अद्यतन कर आदेश को निगम के सूचना पट्ट पर प्रकाशित करने के साथ निगम के Website पर upload करना सुनिश्चित करेंगे।

24/06

नगर आयुक्त
पटना नगर निगम